SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: I have no such reaction from any other body.

SHRI BALACHANDRA MENON: In States where khadi may not be successful because of the difficulties of getting cotton, etc., will the Government at least agree to spend that money for other cottage industries where lakhs of workers can be usefully employed as in the case of Kerala?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: Sir, it is very difficult to say where this programme is not accepted. But this work is both khadi as well as village industries and it is these Boards whch have to decide on what programme they should lay emphasis.

MR. CHAIRMAN: Next question.

तीर्थ यात्रियों से लिया जाने वाला कर

*635. श्री सुन्दर सिंह भंडारी :†
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री पीताम्बर दास :
डा० भाई महावीर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीर्थस्थानों पर जाने वाले यात्रियों से कर लेना कब, क्यों और कैसे आरम्भ हुआ;

(ख) यह कर किस आधार पर लिया जाता है और कितना लिया जाता है; और

(ग) उन सभी मजहबों के उन तीर्थ स्थानों के नाम क्या है जहा पर यह कर लिया जाता है ?

‡[TAX CHARGED FROM PILGRIMS

*635. SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:†
SHRI MAN SINGH VARMA:
SHRI J. P. YADAV:
SHRI PITAMBER DAS:
DR. BHAI MAHAVIR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) since when tax is being charged from the pilgrims going to places of pilgrimage and for what reasons and in what manner this tax was introduced;

(b) what is the criterion on which this tax is charged and what is the amount of tax thus charged; and

(c) what are the names of the places of pilgrimage be'onging to all religions, where this tax is charged?]

(रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री रोहन लाल चतुर्वेदी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) विभिन्न तीर्थस्थानों मे आने-जाने वाले रेल यात्रियों से जो सीमा कर (टर्मिनल टैक्स) लिया जाता है, वह अलग-अलग तारीखों से लगा हुआ है । इस कर के लगाने का मुख्य कारण यह है कि इन स्थानों में आने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को खर्च करना पड़ता है । शुरू मे यह कर स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत लगाया गया था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के लागू होने से पहले यह प्रान्तीय विषय था । यद्यपि अब यह केन्द्रीय विषय बन गया है, फिर भी इस तरह का कर लगाना संविधान के अनुच्छेद 277 द्वारा संरक्षित है ।

(ख) रेल यात्री सीमा कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत यह कर कुछ तीर्थस्थानों अथवा उन स्थानों पर रेल से आने-जाने

‡[ ] English translation.

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sundar Singh Bhandari.

वाले यात्रियों पर लगाया जाता है, जहां त्योहार, मेले या प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। चूंकि इस कर की शुद्ध आमदनी राज्यों के खाते में जमा करनी होती है, इसलिए किन स्थानों, त्योहारों आदि के सम्बन्ध मे यह कर लगाया जाये, इसके बारे मे भारत सरकार राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करती है। जिन सिद्धांतों के आधार पर इस कर के लगाने की अधिसूचना जारी की जाती है, उनमें से एक सिद्धांत यह है कि रेल यात्रियों पर इस कर के लगाये जाने के साथ-साथ राज्य सरकार सड़क के रास्ते आने-जाने वाले यात्रियों पर भी इसी तरह का कर लगायेगी। कराधान जाच आयोग, 1953-54 की सिफारिश के आधार पर ऐसा किया जाता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर रेल यात्रियों से लिये जाने वाले कर की रकम भी अलग-अलग होती है। एक ओर की यात्रा के टिकट पर कर की अधिकतम दर इस प्रकार है—वातानुकूल या पहले दर्जे के लिए 1 रुपया 50 पैसे, दूसरे दर्जे के लिए 1 रुपया और तीसरे दर्जे के लिए 50 पैसे।

(ग) जिन स्थानों में यह कर लगाया गया है, उनके नाम नीचे दिये गये है —

मध्य रेलवे—

1. भिलसा
2. भूनेश्वर
3. डबरा
4. ग्वालियर
5. बिरला नगर
6. मोरैना
7. मथुरा जं०
8. भिड
9. विजयपुर रोड
10. घोसीपुरा
11. गोहद रोड
12. गोलका मन्दिर
13. जीवाजी गंज
14. जोरा आलापुर
15. सबलगढ़
16. शिवपुर कलां
17. शिवपुरी
18. नैनी जं०
19. करवी

पूर्व रेलवे—

1. गया
2. हवड़ा
3. नया हवडा पुल
4. बालीगज
5. कलकत्ता
6. कालीघाट
7. माजेरहाट

पूर्वोत्तर रेलवे—

1. इलाहाबाद सिटी
2. दारागंज
3. अयोध्याघाट (लकड़मंडी)
4. कटरा
5. वाराणसी सिटी
6. वाराणसी
7. सोरों
8. गोला गोकरण नाथ
9. वृन्दावन
10. मथुरा छावनी
11. मथुरा जं०
12. मसानी

उत्तर रेलवे—

1. अनूपगढ
2. बीकानेर
3. चौताला रोड
4. चुरू
5. गजसिंहपुर
6. हनुमानगढ जं०
7. हनुमानगढ टाउन
8. लालगढ़ जं०
9. नापासर
10. नोहर
11. नोखा
12. रायसिंह नगर
13. राजलदेसर
14. रतनगढ़ जं०
15. सादुलपुर
16. सरदारशहर
17. श्री डूगरगढ़
18. श्री गंगानगर
19. श्री करणपुर
20. श्री कोलायतजी
21. सुजानगढ़
22. सूरतगढ़
23. तालछापर
24. तहसील भद्रा
25. अयोध्या
26. अयोध्याघाट
27. इलाहाबाद जं०
28. इलाहाबाद सिटी
29. बमरौली
30. वाराणसी
31. विंध्याचल
32. फैजाबाद
33. गोमानीवाला
34. काशी
35. माई का मंदिर
36. फाफामऊ
37. प्रयाग
38. प्रयागघाट
39. ऋषिकेश
40. सतनारायण मन्दिर
41. श्यामपुरा
42. सूबेदारगंज
43. रीडगंज
44. मिर्जापुर
45. विंध्याचल
46. भीमगदा टैंक
47. हरिद्वार
48. ज्वालापुर
49. नियर टनेल
50. कुरुक्षेत्र ज०
51. तरनतारन
52. थानेश्वर शहर

दक्षिण मध्य रेलवे—

1. विजयावाड़ा
2. सत्यनारायणपुरम
3. नरसरवूपेट
4. पुनुमका

दक्षिण पूर्व रेलवे—

1. भुवनेश्वर
2. देलग
3. हवड़ा पुल
4. नया हवड़ा पुल
5. खुर्दा रोड
6. पालतीपतपुर

7. पदमपुकर
8. पुरी
9. साखीगोपाल
10. शालीमार
11. सिम्हाचलम

दक्षिण रेलवे

1. चन्द्रगिरि
2. तिरुपति पूर्व
3. रेणिगुंटा
4. कालाहस्ती
5. पोनपडी
6. तिरुत्तनी
7. मदुरै, मदूरै जं०, मदुरै पूर्व और मदुरै पुल
8. धनुषकोडि
9. रामेश्वरम्
10. नागापट्टम, नागापट्टम बीच, वेल्लिप्प-लायम, नागौर, कडूरि पर्व
11. चिताम्बरम अणि तिरुमंजानूर पर्व, अरुद्र दर्शनम पर्व
12. मायावरम जं०, मायावरम टाउन थुला पर्व के लिए
13. तिरुवन्नामलैकार्थीगे पर्व
14. तिरुच्चिरापल्लि जं०, त्रिचीपलकारय, तिरुच्चिरापल्लि फोर्ट, गोल्डन, राक, त्रिची टाउन, अरियामंगलम, ट्रेन हाल्ट और श्रीरंगम, बैकुंठ एकादशी पर्व
15. नागापट्टम, नागापट्टम बीच, वेलिप्पल्लायम, और नागौर, वेलंगान्नि पर्व
16. कांजीवरम
17. त्रिवेल्लूर नव चन्द्र दिवस

पश्चिम रेलवे

1. आगर
2. बेरछा
3. गुना
4. मुंगोली
5. शुजालपुर
6. मकोरियाग्राम
7. अजमेर
8. बेचारजी
9. मथुरा जं०
10. उदयपुर
11. उज्जैन

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ROHANLAL CHATURVEDI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) The date from which Terminal Tax is being charged from railway passengers travelling to and from various places of pilgrimage, varies from place to place. The main reason for levying the tax is that local authorities incur expenditure on providing amenities for the persons visiting these places. The tax was initially introduced under local laws as it was a Provincial subject prior to the commencement of the Government of India Act, 1935, such levies of the tax are, however, protected by Article 277 of the Constitution though it has now become a Central subject.

(b) Under the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956, the tax is levied on passengers carried by the railway from or to certain places of pilgrimage or where fairs, melas or exhibitions are held. This being a tax net proceeds of which have to be credited to the States, the Government of India are guided by the recommendation of the State Governments in the matter of places, festivals etc. in respect of which the tax may be levied. One of the principles observed in notifying the levy of this

†[ ] English translation.

tax is that the State Government should levy a parallel tax on road-borne traffic simultaneous with the levy of tax on railway passengers. This is as per the recommendation of the Taxation Enquiry Commission 1953-54. The amount of tax on Railway passengers also varies from place to place. The maximum rates at which the tax can be levied in respect of a single ticket are: Rs. 1.50 for air-conditioned or First, Re. 1.00 for Second class and paise 50 for third class.

(c) The names of the places in respect of which the tax is levied are given below:—

Central Railway:

1. Bhilsa
2. Bhuteshwar
3. Dabra
4. Gwalior
5. Birlanagar
6. Morena
7. Mathura Jn.
8. Bhind
9. Bijaipur Road
10. Ghosipura
11. Gohad Road
12. Golaka Mandir
13. Jiwajiganj.
14. Jora-Alapur
15. Sabalgarh
16. Sheopur Kalan
17. Shivpuri
18. Naini Jn.
19. Karwi.

Eastern Railway:

1. Gaya.
2. Howrah
3. New Howrah Bridge
4. Ballygunge
5. Calcutta
6. Kalighat
7. Majherat

North Eastern Railway:

1. Allahabad City
2. Daraganj
3. Ayodhya Ghat (Lakkar Mandi)
4. Katra
5. Varanasi City.
6. Varanasi
7. Soron
8. Gola Gokaran Nath.
9. Vrindaban
10. Mathura Jn.
11. Mathura Cant.
12. Masani.

Northern Railway:

1. Anupgarh
2. Bikaner
3. Chautala Road
4. Churu
5. Gajsinghpur
6. Hanumangarh Jn.
7. Hanumangarh Town
8. Lallgarh Jn.
9. Napasar
10. Nohar
11. Nokha
12. Raisingh Nagar
13. Rajaldesar
14. Ratangarh Jn.
15. Sadulpur
16. Sardarshahr.
17. Sri Dungar Garh
18. Sri Ganga Nagar
19. Sri Karanpur
20. Sri Kolayatji.
21. Sujangarh
22. Suratgarh
23. Tal Chhapar
24. Tehsil Bhadra
25. Ayodhya
26. Ayodhya Ghat

27. Allahabad Jn.
28. Allahabad City.
29. Bamrauli
30. Varanasi
31. Bindhachal
32. Faizabad
33. Gomaniwala
34. Kashi
35. Maika Mandir
36. Phaphamau
37. Prayag
38. Prayag Ghat
39. Rishikesh
40. Satnarain's Temple
41. Shyampura
42. Subedarganj
43. Reidganj
44. Mirzapur
45. Vindhyachal
46. Bhimgoda Tank.
47. Hardwar
48. Jwalapur.
49. Near Tunnel.
50. Kurukshetra Jn.
51. Tarn Taran
52. Thanesar City.

South Central Railway:

1. Vijayawada.
2. Sathyanarayanapuram.
3. Narasaravupet.
4. Munumaka.

South Eastern Railway:

1. Bhubaneshwar.
2. Delang.
3. Howrah bridge.
4. New Howrah bridge.
5. Khurda Road.
6. Malatipatpur.
7. Padmapukur.
8. Puri.
9. Sakhigopal.
10. Shalimar.
11. Simhachalam.

Southern Railway.

1. Chandragiri
2. Tirupati East.
3. Renigunta.
4. Kalahasti.
5. Ponpadi.
6. Tiruttani.
7. Madurai, Madurai Jn., Madurai East and Madurai Bridge.
8. Dhanushkodi.
9. Rameswaram.
10. Negapatam, Negapatam Beach, Velippalaiyam, Nagore, Kandoori Festival.
11. Chidambaram Ani Tirumanjanur Festival, Arudra Darisanam Festival.
12. Mayavaram Jn. Mayavaram Town for Thula Festival.
13. Tiruvannamalai Karthigai Festival.
14. Tiruchchirappalli Jn. Trichi-Palakarai, Tiruchchirappalli Fort, Golden Rock, Trichi Town, Ariyamangalam, Train Halt and Srirangam for Vaikunta Ekadasi Festival.
15. Negapatam, Negapatam Beach, Velippalaiyam and Nagore, Velanganni Festival.
16. Conjeeveram.
17. Trivellore New Moon Day.

Western Railway:

1. Agar.
2. Bercha.
3. Guna.
4. Mungaoli.
5. Shujadpur.
6. Makoria-Am.
7. Ajmer.
8. Becharji.

9. Mathura Jn.
10. Udaipur.
11. Ujjain.]

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट में यह बात स्पष्ट नहीं है कि केन्द्रीय विषय बन जाने के बाद किन-किन स्थानों पर और कहां-कहां पर इस तरह का टैक्स लगाया गया है ? क्योंकि जब तक यह प्रादेशिक विषय था, तब बात समझ में आ सकती थी, परन्तु केन्द्रीय विषय बन जाने के बाद इस तरह का टैक्स कहां-कहां लगाया गया है और अगर लगाया गया है तो यह टैक्स लगाते समय जो सिफारिश राज्य सरकारें करती हैं, वे पूरी की पूरी लागू की गई है या उसमें कुछ घटत बढ़त की जाती है ? इस कर को लागू कराने का या न कराने का अधिकार किस को है ?

तीसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह दर निश्चित होती है तो यह दर जो आपने डेढ़ रु०, एक रु० और 50 पैसे रखी है यह मैक्सिमम बतलाते हैं, अर्थात् कोई मिनिमम भी है, तो उस मैक्सिमम और मिनिमम को निर्धारित करने के लिए किस पमाने का इस्तेमाल करते हैं कि यहां पर इतना कर लगाया जाना चाहिये ?

डा० राम सुभग सिंह : सन् 1953-54 में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस बात पर विचार किया था और उसकी राय के अनुसार इस विषय पर कार्य किया जाता है। डेढ़ रु०, 1 रु० और 50 पैसे टैक्स लगाने के बारे में जो बात आपने कही, यह टैक्स राज्यों के परामर्श करने के बाद ही तय किया जाता है। यदि वे अपने यहां रोड ट्रांसपोर्ट पर अमुक तीर्थ स्थानों के लिए टैक्स लगवाते हैं, तब ही रेलवे वैसा टैक्स लगाती है। कहां-कहां पर इस तरह का टैक्स लगाया गया है, कहां पर इस तरह का टैक्स घटाया या बढ़ाया गया है, इन बातों का पता लगाकर मैं टेबल पर रख दूंगा।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : मैंने पूछा था कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में जिस तरह की सिफारिशें करती है, वे सारी की सारी लागू की जाती हैं या उसमें घटत बढ़त की जाती है।

डा० राम सुभग सिंह : टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस तरह का कर लगाने का जो आधार बतलाया है और प्रादेशिक सरकारों की रोडवेज जिन स्थानों में जितना यात्री कर लगाती हैं, उसी के अन्दाज के आधार पर रेलवे भी टैक्स लगाती है और यह टैक्स डेढ़ रु०, 1 रु० और 50 पैसे तक प्रति यात्री लगाया जाता है।

श्री मान सिंह वर्मा : स्टेटमेंट को देखने से यह पता चलता है कि जितने भी तीर्थ स्थलों के नाम इसमें दिये गये हैं, उनमें से अधिकांश हिन्दू तीर्थ स्थान हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन स्थानों के अतिरिक्त किन-किन धर्मावलम्बियों के तीर्थ स्थानों में इस प्रकार का टैक्स लगाया गया है। यह तो एक प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में ऐसे कौन से देश हैं, जहां धार्मिक स्थानों पर या तीर्थ स्थानों पर इस तरह का यात्री टैक्स लगाया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : रेलवे विभाग को इस तरह का यात्री टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता और इच्छा नहीं है। यह तो इसलिये लगाया जाता है कि जब स्थानीय निकाय या राज्य सरकारें रेलवे से प्रार्थना करती हैं कि इस तरह का यात्री टैक्स लगाया जाय। जब वे इस तरह का टैक्स किसी स्थान पर लगाने के लिये कहती हैं तब ही हम लगाते है। इस तरह का टैक्स दूसरे धर्मावलम्बियों के तीर्थ स्थानों पर लगाया गया है या नहीं है, तो माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें

अजमेर शरीफ का भी नाम शामिल है। जहां तक दुनिया के अन्य देशों की बात है, वहां के बारे में पता लगाकर बतलाया जा सकता है, मगर यहां पर राज्य सरकारों तथा नगर-पालिकाओं की राय से ही लगाया जाता है?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न में यह बात बतलाने के लिये सरकार से कहा गया था कि किन-किन स्थानों से सरकार इस तरह का टैक्स वसूल करती है और कितना टैक्स वसूल करती है और जिन राज्यों से इस तरह का टैक्स वसूल किया जाता है, उन राज्यों को इसमें से कितना धन दिया जाता है?

इसके साथ ही साथ, जैसा कि "ख" में उत्तर दिया गया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस तरह का कर लगाया जाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रुपया जो इस तरह से कर के रूप में इकट्ठा किया जाता है वह क्या सचमुच में यात्रियों की सुविधा के लिए ही व्यय किया जाता है?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने अजमेर शरीफ का नाम भी इस तरह के यात्री कर के संबंध में लिया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का कर लगाया जाता है या उन्हें सरकार यात्रा के लिये करों के रूप में कुछ देती है?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह ऐक्ट 1956 का है और जो लोग फारेन हज यात्रा करने के लिए जाते हैं उनके बारे में यह ऐक्ट नहीं है। इस संबंध में रेलवे विभाग जितना भी कर कलैक्ट करती है, उसमें से $3\frac{1}{2}$ परसेंट वह विभागी खर्च के लिए अपने पास रख लेती है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट को जहां से इस तरह का कर इकट्ठा किया जाता है दे देती है।

MR. CHAIRMAN: You have put one question. You cannot put two questions.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं अब दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि रेल मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा गया है, उसका उन्होंने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया है। अगर वे ठीक तरह से हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दें, तो फिर हमें दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार राज्य से इस तरह का जो यात्री टैक्स लिया जाता है और जो रुपया राज्य सरकार को दिया जाता है, उसका सदुपयोग किया जाता है या नहीं, इस बात की जानकारी भी उन्हें है या नहीं।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस तरह का जो टैक्स यात्रियों से वसूल किया जाता है, वह साल में करीब 40 लाख रु० होता है। इसका हिसाब आडिटर जनरल से चैक कराया जाता है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को उनका हिस्सा दे देते हैं। वे इस रुपये का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, इसके बारे में रेलवे मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता है।

श्री पीताम्बर दास : यह टैक्स शहरों में लगाया जाता है जहां पर त्यौहार, मेले या प्रदर्शनियां होती हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली, बम्बई और मद्रास, इन तीनों शहरों में भी तो प्रदर्शनियां, मेले और त्यौहार हुआ करते हैं, तो इन शहरों में इस तरह का यात्री कर क्यों नहीं लगाया जाता है?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जब स्टेट गवर्नमेंट हम से इस तरह का कर लगाने के लिए कहती है तब ही हम लगाते हैं। जिन स्थानों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट हम से इन स्थानों पर कर लगाने के लिए कहेंगी तब ही हम लगा सकते हैं।

श्री जागेश्वर प्रसाद यादव श्रीमान्, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर देने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिये। उनमें जो प्रश्न किये जा रहे हैं, उनका सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। उनका जवाब सही और कैटेगरिकल होना चाहिये।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी आप पूछे तो जवाब दें।

MR CHAIRMAN If they have information, they will give If it is insufficient, kindly meet the Minister and discuss it with him, or put a separate question. That is all what we can do

डा० भाई महावीर माननीय मंत्री जी से पहले से ही प्रत्येक प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न किया कि यह जो कर लगाया जाता है वह केवल हिन्दू तीर्थ स्थानों पर ही लगाया जाता है या दूसरे धर्मावलम्बियों के तीर्थ स्थानों पर भी लगाया जाता है? इसका उत्तर माननीय मंत्री ने कुछ नहीं दिया सिवाय इसके कि शायद अजमेर शरीफ मे इस तरह का यात्री कर लगाया जाता है।

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सुविधा देने के लिए यह कर लगाने की बात कही गई है। तो इस तरह की सुविधा यात्रियों को कितनी दी जाती है, इसकी भी जानकारी उनके पास नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कितनी सुविधाएं दे रही है।

इसके साथ ही साथ आप यह भी बतलाने की कृपा करें कि इस तरह का कर भारत मे ही लगाया जाता है या दूसरे देशों मे भी इस तरह का कर तीर्थ स्थानो पर सुविधा देने के लिए लगाया जाता है। अगर इस तरह का कर और देशो मे भी है तो वह कहां-कहां पर है? अगर नहीं है तो इस विषय मे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई या नही?

डा० राम सुभग सिंह असल मे इसमें कोई विशेष विरोध नजर नहीं आता। यह जो कहा गया कि केवल हिन्दू तीर्थ स्थानों पर ही यह है इस चीज को मैं नहीं मानता और न इस दृष्टि से मैं इसको देखता हूं और अगर यह कहा जाय कि हिन्दू तीर्थ स्थानों की नगरपालिकायें या निगम यह सिफारिश करते है तो वे क्यों करते है। वह इस लिये करते है कि वहां पर तो उन्हीं का बहुमत होता है। वहां के जो हिन्दू होते हैं वे इसे चाहते है, भले ही दूसरे लोग कुछ भी कहें। ऐसी स्थिति मे अगर हम इस प्रश्न को हिन्दू मुसलमान या सिख ईसाई की दृष्टि से देखते है, तो उसे मैं कुछ मुनासिब नही समझता।

श्री मान सिंह वर्मा धर्म स्थल तो वे आपकी नजर मे है।

डा० राम सुभग सिंह आप पूछिये कि हरिद्वार मे जिन लोगो का नगरपालिका मे बहुमत है, अजमेर मे जिन लोगो का बहुमत है वे रेलवे से क्यों दरख्वास्त करते है इसके लिये। अगर वे, राज्य सरकारें और म्युनिसिपैलिटियां इस प्रकार की सिफारिश न करें तो यह कर नहीं लगेगा और यादव जी ने जो कहा कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता उस सम्बन्ध मे बात यह है कि 40 लाख सारी रकम आती है और इस का साढे तीन प्रतिशत रेल रखती है और बकिया राज्य सरकारों को दे देती है। यह नहीं है कि हर साल एक ही रकम आये। कभी कुम्भ मेले मे ज्यादा रकम आ सकती है, लेकिन अनुमान आता है 40 लाख का और इसके लिये कोई दूसरा दृष्टिकोण रखना मैं मुनासिब नहीं समझता। दूसरे देशों मे और इसमे कितना बड़ा तारतम्य है यह मुझे समझ मे नहीं आता, लेकिन यदि आप चाहते है, तो सारे देशों के आंकड़े मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, किन्तु उसके लिये पत्र-व्यवहार का खर्च भी नामुनासिब है।

*636 [*The questioner (Shri B. D. Khobaragade) was absent For answer, vide col* 5430-31 *infra.*]